भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

₹ 100

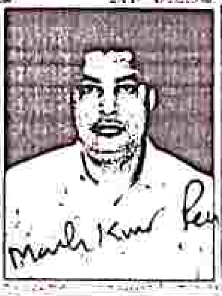

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BF 247249

न्यास–पत्र

1. हम कि प्रकाश चन्द्र राय पुत्र स्व0 रामपुरत राय, ग्राम व पोस्ट–राहरोज, तहसील–सदर, जनपद–मऊ का हूँ। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्राम सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों का स्वास्थ्य एवं आदर्श गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों की जीवन की मूल आवश्यकतायें भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई–चारा, साम्प्रदायिक ताल–मेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में भेद–भेद, जाति–पाति, छुआ–छूत, धर्म एवं सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की गयी है। हम मुकिर अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की बात 21000/– (इक्कीस हजार रुपये) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित किया है। जिसकी स्थापना निम्न रूपेण की जायेगी।

2. आगे भी हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम ... जनसेवा न्यास ... पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है। ग्राम व पोस्ट सहरोज, जनपद–मऊ होगा। उक्त न्यास के ... से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों को सुगमतापूर्वक के बावत इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जा सकेगी ... के कार्यालयों के पतों पर न्यास राजकुमार द्वारा ... की जाने वाली संस्थाओं और समितियों का ...

8-4214 Manoj Kumar Rai

अखिलेश राय

Secretary

28/03/2016

24 100
19-12-12
न्यासपत्र
प्रकाश चन्द्र राय पुत्र
स्व. राममूरत राय सा० सहरोजतह०
सदर मऊ

प्रेमनारायण सिंह
ला०नं० 12 तह०सदर-मऊ

TREASURY M...

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BF 247250

सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। पूर्व में हम मुकिर व हम मुकिर के पूर्वजों द्वारा जो संस्थाएँ स्थापित कर उनका पंजीयन कराया गया है और जिनका विवरण इस न्यास पत्र में वर्णित न्यास के उद्देश्यों में दिया गया है भी हम मुकिर द्वारा स्थापित किये जाने वाले इस न्यास/ट्रस्ट के अधीन जानी व समझी जायेगी।

3. यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा न्यास के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यास के रूप में कार्य करने को सहमत हैं व न्यास की न्यासी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या 3 से कम तथा 7 से अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम मुकिर द्वारा न्यास की उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी तथा मुख्य न्यासी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा न्यासी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:

1. इन्दू राय पत्नी श्री प्रकाश चन्द्र राय, ग्राम व पोस्ट–सहरोज, तहसील–सदर, जनपद–मऊ।
2. मनीष कुमार राय पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र राय, ग्राम व पोस्ट–सहरोज, तहसील–सदर, जनपद–मऊ।
3. मनोज राय पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र राय, ग्राम व पोस्ट–सहरोज, तहसील–सदर, जनपद–मऊ।
4. अखिलेश राय पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र राय, ग्राम व पोस्ट–सहरोज, तहसील–सदर, जनपद–मऊ।

4. यह कि हम मुकिर द्वारा ''श्री साई जनसेवा न्यास'' के नाम से जिस न्यास की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना की मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना एवं आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
3. नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक शिक्षा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जू0हा0 स्कूल, हा0 स्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों, टेक्निकल कालेजों, विश्वविद्यालयों की स्थापना।

प्रकाश चन्द्र राय इन्दू राय Manish Kumar Rai मनोज राय अखिलेश राय

25

100
19-12-12
न्यास पत्र
शा० नं० 24

21,000.00

यास पत्र

210.00	20	230.00	800
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

न्यास की राशि

श्री प्रकाश चन्द राय

पुत्र श्री रामसूरत राय

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी सहरोज घोसी सदर मऊ

अस्थायी पता सहरोज घोसी सदर मऊ

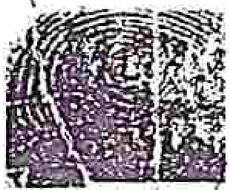

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/12/2012 समय 12:13PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के0पी0 सिंह

उप निबन्धक सदर

मऊ

20/12/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री प्रकाश चन्द राय

पुत्र श्री रामसूरत राय

पेशा कृषि

निवासी सहरोज घोसी सदर मऊ

श्रीमती इन्दू राय

पत्नी श्री प्रकाश चन्द राय

पेशा गृहिणी

निवासी सहरोज घोसी सदर मऊ

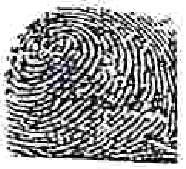

श्री मनीष कुमार राय Manish Kumar Rai

पुत्र श्री प्रकाश चन्द राय

पेशा कृषि

निवासी सहरोज घोसी सदर मऊ

श्री मनोज कुमार राय

पुत्र श्री प्रकाश चन्द राय

पेशा कृषि

निवासी सहरोज घोसी सदर मऊ

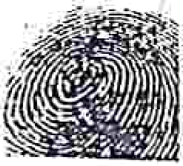

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100
रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 247251

4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उनसे सम्बन्धित ज्ञान की जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
5. समाज के सामुदायिक विकारों को परस्पर भाई–चारा, साम्प्रदायिक ताल–मेल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों एवं महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
6. न्यास द्वारा स्थापित महाविद्यालयों के प्रचार एवं प्रशिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित करायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
7. लिंग–भेद, जाति–पाति, छुआ–छूत, धर्म व सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्व लिटरेचर आदि की व्यवस्था करना।
8. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा प्रदेश व देश के किसी भी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।
9. स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए केजी–केयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।
10. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे– मेडिकल, इंजीनियर, पॉलिटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेण्टरों की व्यवस्था तथा उससे तथा उनसे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना एवं पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल कालेज एवं प्रबन्धन कालेज आदि खोलना।
11. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनके योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में स्थान पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।

NRC1-2000153004

28/03/20

बही संख्या 26 ... 100
... 19-12-12
... न्यासपत्र
... 31/5/2012

(24)

श्री अखिलेश राय
पुत्र श्री प्रकाश चन्द राय
पेशा कृषि
निवासी सहरोज घोसी सदर मऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री मनीष राय
पुत्र श्री दयाशंकर राय
पेशा कृषि
निवासी मित्तुपुर सदर आजमगढ़
व श्री राजेश कुमार
पुत्र श्री शिवनाथ प्रसाद
पेशा कृषि
निवासी खुखुन्दवा घोसी सदर मऊ
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।
ट्रस्टी निर्वाचनकार्ड

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

के०पी० सिंह
उप निबन्धक सदर
मऊ
20/12/2012

५

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 247252

12. अनु0जाति, अनु0जन0जाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गो के लिए स्वरोजगार योजना का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

13. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीन, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाईपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि जैसे– केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, छात्रावास भोजन, वस्त्र दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

14. खाद्य प्रसंस्करण जैसे– जैम, जैली, मुरब्बा, आचार, कन्चप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

15. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के लिए अन्य उपयोग प्रशिक्षण जैसे– हेण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला, निवन्ध व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।

16. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग उद्देश्य हैं।

17. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे–गुंगे, वहरे, अंधों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों युवाओं एवं अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब वच्चों निराश्रित, अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाना। बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।

18. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन, पढ़ने–लिखने व उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा व स्वतंत्रता हो।

19. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता देना।

20. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बरात घर, धर्मशाला, सुलभ, शौचालय, चिकित्साघर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र, आँगनबाड़ी, बालबाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

5-5-2015

29.03.2015

27

100
19-12-12
न्यासपत्र
रजि० नं०

(24)

TREASURY ...

न्यासी

Registration No.: 48 Year : 2,012 Book No. : 4

0101 प्रकाश चन्द राय

रामसूरत राय

सहरोज घोसी सदर मऊ

कृषि

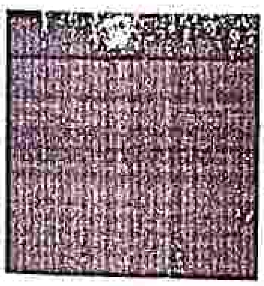

0102 इन्दू राय

प्रकाश चन्द राय

सहरोज घोसी सदर मऊ

गृहिणी

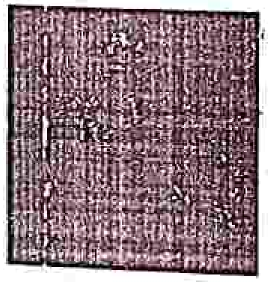

0103 मनीष कुमार राय

प्रकाश चन्द राय

सहरोज घोसी सदर मऊ

कृषि

0104 मनोज कुमार राय

प्रकाश चन्द राय

सहरोज घोसी सदर मऊ

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 247253

21. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी–बूटियों वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधे) (फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षण की दृष्टि से विलुप्त पौधों की खेती करना।
22. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों के पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार के आर्थिक सहायता एवं अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुँचाना।
23. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील तथा अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
24. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना, बेचना उन्हें किराये या लीज पर लेन–देन करना मार्गेज करना या मकान बनवाना बेचना आदि।
25. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सकें। जैसे– यूनिसेफ, आई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
26. घरेलू ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोकथाम, टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।
27. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान मसाला, गांजा, स्मैक, एल0सी0डी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वालों को उनसे होने वाले बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
28. समाज की व्याप्त बुराईयों जैसे– अंधविश्वास, बाल–विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता, जाति–पाति एवं छुआ–छूत की भावना एवं शैक्षिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

प्रकाश चन्द्र राय

इन्द्र राज

Manh Kur R.

28/03/2016

R6

100
19-12-12
न्यायपत्र
श०न०
(24)

Registration No.: 48 Year : 2,012 Book No. : 4

0105 अखिलेश राय

प्रकाश चन्द राय

सहरोज घोसी सदर मऊ

कृषि

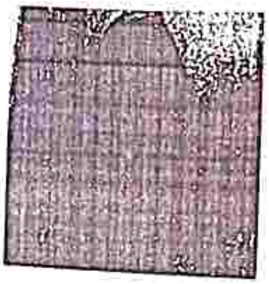

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BF 247255

38. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये–नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करना तथा नये–नये शोधित बीजों को उगाने तथा उससे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य पर दिलाना। तिलहन–दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार–प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषि कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

39. वर्मी कम्पोस्ट एवं साग–सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों का अवगत कराना।

40. बंजर एवं ऊसर भूमि गैर पाम्परित ऊर्जा स्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना।

41. जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी/नियंत्रण/उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।

42. प्राकृतिक आपदा जैसे– हैजा, प्लेग, भूखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित एवं व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भावी रणनीति के लिए सहयोग/जागरूकता/प्रशिक्षित करना। इसके लिए लोगों/संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।

43. लावारिस असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना, गोवंशीय जीवों की सुरक्षा एवं पालन हेतु पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना तथा पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना।

44. तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाईल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैन की व्यवस्था करना।

Manh Kr L. 6-6514 28/03/2016

[illegible] 30 [illegible] 108

[illegible] 19-12-12

[illegible] न्यासपत्र

[illegible] शप्ता०

(24)

प्रेमलता [illegible] सिंह

[illegible]

TREASURY MAU
STAMP